

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2011

धाराओं का क्रम

धाराएं

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और अवधि ।
2. परिभाषाएं ।
3. प्रवर्तन का प्रास्थगित रखा जाना ।
4. इस अधिनियम के उपबंधों का कतिपय मामलों में लागू न होना ।
5. केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।
6. 1 जनवरी, 2011 से इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख तक की अवधि के दौरान किए गए कार्यों या ऐसे कार्यों का, जिनके करने का लोप किया गया है, विधिमान्यकरण ।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2011

(2011 का अधिनियम संख्यांक 5)

[30 मार्च, 2011]

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए 31 दिसंबर, 2011 तक की
और अवधि के लिए विशेष उपबंध करने और
उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक
विषयों के लिए
अधिनियम

प्रवास और अन्य कारणों से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की जनसंख्या में अपूर्व वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप भूमि और अवसंरचना पर अत्यधिक दबाव बढ़ा है, जिसके कारण ऐसे अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास हुए हैं, जो दिल्ली मास्टर प्लान-2001 और सुसंगत अधिनियमों तथा उनके अधीन बनाई गई भवन निर्माण संबंधी उपविधियों में यथा उपबंधित योजनाबद्ध विकास की संकल्पना के अनुरूप नहीं हैं;

और दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 को वर्ष 2021 के लिए परिदृश्य तथा शहरी विकास में सामाजिक, वित्तीय और अन्य आधारिक वास्तविकताओं के मुकाबले में उभरते हुए नए आयामों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यापक रूप से उपांतरित किया गया था और 7 फरवरी, 2007 को अधिसूचित किया गया था;

और वर्ष 2021 के लिए परिदृश्य सहित दिल्ली मास्टर प्लान में शहरी निर्धनों के आवास के लिए रणनीतियों के साथ ही अनौपचारिक सेक्टर से निपटने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध किया गया है;

और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा शहरी पथ विक्रेताओं के लिए राष्ट्रीय नीति और दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 के अनुसार शहरी पथ विक्रेताओं के विनियमन के लिए एक रणनीति और स्कीम तैयार की गई है और कार्यान्वित की जा रही है;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा अप्राधिकृत कालोनियों, ग्रामीण आबादी क्षेत्र और उनके विस्तारण के नियमितीकरण के संबंध में तय की गई नीति के आधार पर इस प्रयोजन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम जारी किए गए हैं;

और इन मार्गदर्शक सिद्धांतों और विनियमों के अनुसरण में अप्राधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ, अभिन्यास योजनाओं की संवीक्षा, 31 मार्च, 2002 को यथाविद्यमान निर्माण के प्रतिशत का निर्धारण, पथों के मिश्रित उपयोग की पहचान, अभिन्यास योजनाओं का अनुमोदन, सीमाओं का नियतन, भूमि उपयोग में परिवर्तन और नियमितीकरण के लिए अपात्र कालोनियों की पहचान करना सम्मिलित है;

और फेरीवालों तथा शहरी पथ विक्रेताओं से संबंधित स्कीम के उचित कार्यान्वयन के लिए और अप्राधिकृत कालोनियों, ग्रामीण आबादी क्षेत्र और उनके विस्तारण के नियमितीकरण के लिए और अधिक समय अपेक्षित है;

और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में गंदी बस्तियों के निवासियों और झुग्गी-झोंपड़ी समूह के पुनःस्थापन तथा पुनर्वास के लिए उचित व्यवस्था करने हेतु एक पुनरीक्षित नीति विरचित की गई है और तदनुसार, पर्यावरण और जीवन-निर्वाह की परिस्थितियों में सुधार करने के विचार से गंदी बस्तियों और झुग्गी-झोंपड़ी समूह के सुधार के लिए स्कीमों के कार्यान्वयन और ऐसे व्यक्तियों हेतु आवासीय स्कीम तैयार करने का उपबंध करने के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 (2010 का दिल्ली अधिनियम 7) अधिनियमित किया गया है और, 1 जुलाई 2010 से अधिसूचित किया गया है;

और फार्म हाऊसों के संबंध में एक प्रारूप नीति दिल्ली विकास प्राधिकरण के विचाराधीन है;

और दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 के अनुसरण में, विभिन्न जोनों के संबंध में क्षेत्रीय विकास योजनाओं को अधिसूचित किया गया है, जो विद्यालयों, औषधालयों, धार्मिक संस्थाओं और सांस्कृतिक संस्थाओं के नियमितीकरण के लिए उपबंध करती हैं;

और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर निर्मित कृषि निवेशों या उपज (जिसमें दुग्ध-उद्योग और कुक्कुट उद्योग भी सम्मिलित हैं) के लिए प्रयुक्त भंडारों, भांडागारों और गोदामों की बाबत नीति दिल्ली विकास प्राधिकरण के परामर्श से केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं;

और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के क्षेत्रों के लिए 31 दिसम्बर, 2008 तक की अवधि के लिए विशेष उपबंध करने हेतु दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी विधि राज्यक्षेत्र (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2007 (2007 का 43), 5 दिसम्बर, 2007 को अधिनियमित किया गया था, जो 31 दिसम्बर, 2008 के पश्चात् प्रवर्तन में नहीं रह गया था;

और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध करने हेतु पूर्वोक्त अधिनियम को 31 दिसम्बर, 2009 की अवधि तक जारी रखने के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2009 (2009 का 24) अधिनियमित किया गया था, और वह अधिनियम 31 दिसम्बर, 2009 के पश्चात् प्रवर्तन में नहीं रह गया था;

और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के क्षेत्रों के लिए 31 दिसम्बर, 2010 तक की अवधि के लिए विशेष उपबंध करने हेतु पूर्वोक्त अधिनियम को 31 दिसम्बर, 2010 की अवधि तक जारी रखने के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2009 (2009 का 40) अधिनियमित किया गया था और वह अधिनियम 31 दिसम्बर, 2010 के पश्चात् प्रवर्तन में नहीं रह गया था;

और यह समीचीन है कि उक्त अधिनियम को 31 दिसम्बर, 2011 तक की अवधि के लिए जारी रखते हुए ऊपर निर्दिष्ट नीतियों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की बाबत सम्बद्ध अभिकरण द्वारा किसी कार्रवाई के विरुद्ध दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की जनता को अस्थायी राहत देने और अपरिहार्य कठिनाइयों तथा अपूर्णनीय हानि को कम करने का उपबंध करने हेतु दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 के निबंधनों के अनुरूप कोई विधि हो;

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और अवधि—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2011 है।

(2) इसका विस्तार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र पर होगा।

(3) यह 1 जनवरी, 2011 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

(4) यह अधिनियम, दिसंबर, 2011 को उन बातों के सिवाय, प्रवर्तन में नहीं रहेगा, जो ऐसे प्रवर्तन में न रहने के पूर्व की गई हों या जिनका किए जाने से लोप किया गया हो, और ऐसे प्रवर्तन में न रहने पर साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 इस प्रकार लागू होगी, मानो यह अधिनियम, केन्द्रीय अधिनियम द्वारा निरसित कर दिया गया हो।

2. परिभाषाएं—(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) “भवन निर्माण संबंधी उपविधियों” से भवनों से संबंधित दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 481 के अधीन बनाई गई उपविधियां या नई दिल्ली में यथाप्रवृत्त, पंजाब नगरपालिक अधिनियम, 1911 (1911 का पंजाब का अधिनियम 3) की धारा 188, धारा 189 की उपधारा (3) और धारा 190 की उपधारा (1) के अधीन बनाई गई उपविधियां या दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(ख) “दिल्ली” से दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 2 के खंड (11) में यथापरिभाषित, दिल्ली छावनी को छोड़कर, दिल्ली राष्ट्रीय राज्यक्षेत्र का संपूर्ण क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ग) “अधिक्रमण” से आवासिक उपयोग या वाणिज्यिक उपयोग या किसी अन्य उपयोग के लिए अस्थायी, अर्धस्थायी या स्थायी संरचना के रूप में सरकारी भूमि या सार्वजनिक भूमि का अप्राधिकृत अधिभोग अभिप्रेत है;

(घ) “स्थानीय प्राधिकारी” से दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) के अधीन स्थापित दिल्ली नगर निगम या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का 44) के अधीन स्थापित नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् या दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के अधीन स्थापित दिल्ली विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है, जो अपनी-अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्रों के संबंध में नियंत्रण का प्रयोग करने के लिए विधिक रूप से हकदार है;

(ङ) “मास्टर प्लान” से दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के अधीन अधिसूचना सं० का० आ० 141(अ), तारीख 7 फरवरी, 2007 द्वारा अधिसूचित वर्ष 2021 के लिए परिदृश्य के साथ दिल्ली मास्टर प्लान अभिप्रेत है;

(च) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(छ) “दंडात्मक कार्रवाई” से अप्राधिकृत विकास के विरुद्ध किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अधीन की गई कार्रवाई अभिप्रेत है और इसमें परिसरों को ढा देना, सील करना और व्यक्तियों या उनके कारवारी स्थापन को, चाहे न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में या अन्यथा, विद्यमान स्थान से विस्थापित करना भी सम्मिलित होगा;

(ज) “सुसंगत विधि” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) दिल्ली विकास प्राधिकरण की दशा में, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61);

(ii) दिल्ली नगर निगम की दशा में, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66); और

(iii) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की दशा में, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का 44);

(झ) “अप्राधिकृत विकास” से मंजूर की गई योजनाओं के उल्लंघन में या योजनाओं की मंजूरी अभिप्राप्त किए बिना या, यथास्थिति, मास्टर प्लान या क्षेत्रीय प्लान या अभिन्यास प्लान के अधीन यथा अनुज्ञात भूमि उपयोग के उल्लंघन में किया गया भूमि का उपयोग या भवन का उपयोग या भवन का निर्माण या कॉलोनियों का विकास और उनका विस्तार अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई अधिक्रमण भी है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होंगे जो दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61), दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का 44) में क्रमशः उनके हैं।

3. प्रवर्तन का प्रास्थगित रखा जाना—(1) किसी सुसंगत विधि या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों, विनियमों या उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम की समाप्ति से पूर्व गंदी बस्ती के निवासियों और झुग्गी-झोंपड़ी समूह के निवासियों, फेरी वालों और शहरी पथ विक्रेताओं, अप्राधिकृत कॉलोनियों, गांव के आबादी क्षेत्र (जिसके अन्तर्गत शहरी गांव भी हैं) और उसके विस्तार, विद्यमान फार्म हाऊसों, जो भवन निर्माण की अनुज्ञेय सीमाओं से परे निर्माण में लगे हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बने विद्यालयों, औषधालयों, धार्मिक संस्थाओं, सांस्कृतिक संस्थाओं, कृषि निवेशों या उपज (जिसमें दुग्ध उद्योग और कुक्कुट उद्योग सम्मिलित हैं) के लिए प्रयुक्त भंडारों, भांडागारों और गोदामों द्वारा अधिक्रमण के रूप में अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास की समस्या से निपटने के लिए मानकों, नीतिगत मार्गदर्शक सिद्धांतों, साध्य रणनीतियों और क्रमबद्ध व्यवस्थाओं को, जो नीचे वर्णित हैं, अंतिम रूप देने के लिए सभी संभव उपाय करेगी:—

(क) पोषणीय, योजनाबद्ध और मानवोचित रीति में दिल्ली का विकास सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली शहरी आश्रय स्थल सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 (2010 का दिल्ली अधिनियम 7) और दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की गंदी बस्तियों के निवासियों और झुग्गी-झोंपड़ी समूहों के निवासियों के पुनःस्थापन और पुनर्वास के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था;

(ख) दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 में यथा उपबंधित रूप में शहरी पथ विक्रेताओं और फेरी वालों के लिए राष्ट्रीय नीति के अनुरूप शहरी पथ विक्रेताओं के विनियमन के लिए स्कीम और क्रमबद्ध व्यवस्था;

(ग) 31 मार्च, 2002 को यथाविद्यमान और जहां उस तारीख से परे और 8 फरवरी, 2007 तक निर्माण किया गया है, वहां अप्राधिकृत कॉलोनियों, गांव आबादी क्षेत्रों (जिसके अन्तर्गत शहरी गांव भी हैं) के नियमितीकरण और उनके विस्तारण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों और विनियमों के अनुसरण में क्रमबद्ध व्यवस्था;

(घ) ऐसे विद्यमान फार्म हाऊसों से संबंधित नीति जो भवन निर्माण की अनुज्ञेय सीमाओं से परे निर्माण में लगे हुए हैं; और

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बने विद्यालयों, औषधालयों, धार्मिक संस्थाओं और सांस्कृतिक संस्थाओं, कृषि निवेशों या उपजों (जिसमें दुग्ध उद्योग और कुक्कुट उद्योग सम्मिलित हैं) के लिए प्रयुक्त भंडारों, भांडागारों और गोदामों के संबंध में क्रमबद्ध व्यवस्था के लिए नीति या योजना।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए और किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी,—

(i) अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास की बाबत 1 जनवरी, 2008 को जो स्थिति थी; और

(ii) उपधारा (1) में वर्णित ऐसी अप्राधिकृत कॉलोनियों, गांव के आबादी क्षेत्र (जिसके अन्तर्गत शहरी गांव भी हैं) और उनके विस्तारण की बाबत, जहां निर्माण कार्य उस तारीख से आगे और 8 फरवरी, 2007 तक हुआ है, 31 मार्च, 2002 को जो स्थिति विद्यमान थी,

उसे यथावत बनाए रखा जाएगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करने के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी की गई सभी सूचनाएं निलंबित की गई समझी जाएंगी और 31 दिसम्बर, 2011 तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(4) इस अधिनियम में किसी अन्य उपबंध के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार 31 दिसम्बर, 2011 के पूर्व किसी भी समय, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) में वर्णित अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास की बाबत छूट को, अधिसूचना द्वारा, वापस ले सकेगी।

4. इस अधिनियम के उपबंधों का कतिपय मामलों में लागू न होना—इस अधिनियम के प्रवर्तन की अवधि के दौरान, धारा 3 के उपबंधों के अधीन निम्नलिखित अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास के संबंध में कोई अनुतोष उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात्:—

(क) उन मामलों को छोड़कर, जो धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अंतर्गत आते हैं, सार्वजनिक भूमि पर अधिक्रमण;

(ख) विनिर्दिष्ट सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए अपेक्षित भूमि को खाली कराने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सुसंगत नीतियों के अनुसार गंदी बस्तियों और झुग्गी-झोंपड़ी के निवासियों, फेरी वालों और शहरी पथ विक्रेताओं, अप्राधिकृत कॉलोनियों या उनके भाग, गांव के आबादी क्षेत्र (जिनके अन्तर्गत शहरी गांव भी हैं) और उनके विस्तार का हटाया जाना।

5. केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, स्थानीय प्राधिकारियों को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए वह ठीक समझे और स्थानीय प्राधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे ऐसे निदेशों का अनुपालन करें।

6. 1 जनवरी, 2011 से इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख तक की अवधि के दौरान किए गए कार्यों या ऐसे कार्यों का, जिनके करने का लोप किया गया है, विधिमान्यकरण—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, 1 जनवरी, 2011 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाली और इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ठीक पूर्व समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किए गए सभी कार्य, या ऐसे कार्यों, जिनके करने का लोप किया गया है और की गई सभी कार्रवाईयां या ऐसी सभी कार्रवाईयां, जो नहीं की गई हैं जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप हैं, इस प्रकार इन उपबंधों के अधीन किया गया या करने का लोप किया गया या नहीं किया गया समझा जाएगा मानो ऐसे उपबंध उन समयों पर प्रवृत्त थे, जब वे कार्य किए गए थे या उनके करने का लोप किया गया था और पूर्वोक्त अवधि के दौरान कार्रवाईयां की गई थीं या नहीं की गई थीं।